टी बोर्ड भारत
14 बी. टी. एम. सरणी
कोलकाता-700 001

वेबसाइट : www.teaboard.gov.in
दूरभाष: 033 22351331
ई-मेल- ndatta.tbi@nic.in

फाइल सं VIG-CRCV/1/2025 दिनांक: 09.10.2025

परिपत्र

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 के पालन के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जारी परिपत्र संख्या VIG-CRCV/1/2025-लाइसेंसिंग/1041 दिनांक 25.08.2025 के संदर्भ में है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 के पालन के संबंध में सतर्कता अनुभाग, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन संख्या सी-31014/1/2025-सतर्कता/2 दिनांक 01.10.2025 का भी संदर्भ लिया जाता है (प्रति संलग्न)।

सीवीसी के निदेशों के अनुसार, दिनांक 27.10.2025 से 02.11.2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 का आयोजन मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा दिनांक 27.10.2025 को प्रातः 11.00 बजे सत्यनिष्ठा शपथ के साथ शुरू होना चाहिए।

इस संबंध में, सीवीसी ने सभी संगठनों को विभिन्न गतिविधियां संचालित करने की सलाह दी है, जैसे सीवीसी की वेबसाइट पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेना, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए संगठन की नीतियों/प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों पर कार्यशालाएं/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना, सतर्कता अध्ययन मंडलों द्वारा विभिन्न आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, संगठन के साथ काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा ई-ईमानदारी की प्रतिज्ञा लेना आदि और अन्य आउटरीच गतिविधियां। सीवीसी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन पर एक रिपोर्ट उक्त परिपत्र के अनुलग्नक-डी के रूप में संलग्न प्रारूप में 30 नवंबर, 2025 तक सीवीसी को भेजने का भी निर्देश दिया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सतर्कता अनुभाग से प्राप्त दिनांक 15.09.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या C-31014/1/2025-सतर्कता/4 का भी संदर्भ लिया जाता है, जिसमें तीन महीने की अभियान अवधि (18 अगस्त, 2025 से 17 नवंबर, 2025) का विवरण दिया गया है, तथा सतर्कता आयोग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों पर आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया गया है:

(अगले पृष्ठ पर जारी...)

1. क्षमता निर्माण कार्यक्रम
2. परिसंपत्ति प्रबंधन
3. डिजिटल पहल

अनुलग्नकः यथाकथित

भवदीय,

ऋषिकेश राय
(सचिव)

वितरण:

कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कूनूर	आवश्यक कार्रवाई एवं अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालयों के बीच संचलन हेतु।
कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी	
उ.नि.चा.वि, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी	
वि.अ. (उ.प.भा) टी बोर्ड, नई दिल्ली	
प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर	आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रभारी, टी बोर्ड, मुम्बई	
टी बोर्ड के सभी विभागाध्यक्ष	कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु
उपाध्यक्ष के नि.सह	कृपया सूचना हेतु
संपदा अधिकारी, टी बोर्ड	बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशित करने हेतु
आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करेन क अनुरोध सहित